न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 57/2013 (उदयपुर डिक्री)

1. सुरेन्द्र कुमार पिता स्वर्गीय श्री द्वारकालाल भटनागर, निवासी मकान नंबर 135–एफ–ब्लोक, सेक्टर 14, उदयपुर (राज.)

2. नरेन्द्र कुमार पिता स्वर्गीय श्री द्वारकालाल भटनागर, निवासी मकान नंबर 135–एफ–ब्लोक, सेक्टर 14, उदयपुर (राज.)

3. रमेश कुमार पिता स्वर्गीय श्री द्वारकालाल भटनागर (मृतक) के बजाय :–

3/1. अंकुश पिता स्वर्गीय श्री रमेश कुमार भटनागर, निवासी मकान नंबर 135–एफ–ब्लोक, सेक्टर 14, उदयपुर (राज.)

3/2. अनुभव पिता स्वर्गीय श्री रमेश कुमार भटनागर, निवासी मकान नंबर 135–एफ–ब्लोक, सेक्टर 14, उदयपुर (राज.)

3/3. अलंकृत पिता स्वर्गीय श्री रमेश कुमार भटनागर, निवासी मकान नंबर 135–एफ–ब्लोक, सेक्टर 14, उदयपुर (राज.)

4. महेन्द्र कुमार पिता स्वर्गीय श्री द्वारकालाल भटनागर, निवासी मकान नंबर 345–347, तिलक नगर, इन्दौर (म.प्र.)

5. श्रीमती कृष्णा कानूनगो कुमार पिता स्वर्गीय श्री द्वारकालाल भटनागर, पत्नी श्री प्रकाश नारायण कानूनगो (मृतक) के बजाय :–

5/1. हेमन्द कानूनगो पिता श्री प्रकाश नारायण कानूनगो, निवासी मकान नंबर 345–347, तिलक नगर, इन्दौर (म.प्र.)

5/2. राजेश कानूनगो पिता श्री प्रकाश नारायण कानूनगो, निवासी मकान नंबर 345–347, तिलक नगर, इन्दौर (म.प्र.)

5/3. नितिन कानूनगो पिता श्री प्रकाश नारायण कानूनगो, निवासी मकान नंबर 345–347, तिलक नगर, इन्दौर (म.प्र.)

5/4. भावना भटनागर पिता श्री प्रकाश नारायण कानूनगो पत्नी श्री विवेक भटनागर, निवासी सीताफलों की गली, गणेश घाटी, उदयपुर (राज.)

6. श्रीमती स्वर्णलता कुमार पिता स्वर्गीय श्री द्वारकालाल भटनागर पत्नी श्री सत्येन्द्र स्वरूप भटनागर, निवासी 26-ए-ब्लोक, सेक्टर 14, उदयपुर (राज.)

7. हरीश कुमार पिता स्वर्गीय श्री द्वारकालाल भटनागर (मृतक) के बजाय :–

7/1. श्रीमती मीनाक्षी पिता स्वर्गीय श्री द्वारकालाल भटनागर पत्नी श्री हरीश भटनागर, निवासी 755, गायत्री नगर, सेक्टर नंबर 5, उदयपुर (राज.)

7/2. हिमांशु भटनागर पिता श्री हरीश भटनागर, निवासी 755, गायत्री नगर, सेक्टर नंबर 5, उदयपुर (राज.)

7/3. सुश्री मेघा भटनागर पिता श्री हरीश भटनागर, निवासी 755, गायत्री नगर, सेक्टर नंबर 5, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
दिनांक 17–12–2012 प्र. सं. 64/06

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री पंकज भटनागर अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री मनोज पंवार राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 19–04–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण संख्या 1 से 6 के पिता व 7 के ससुर तथा वादी संख्या 8 व 9 के दादा द्वारकालाल जी को मौजा भटेवर में साबिक आराजी नंबर 3820/1795 रकबा 15 बीघा भूमि का नियमन सरकार ने बिलानाम सिवायचक में परिवर्तन कर दिनांक 08–07–1968 को किया तथा नामान्तरकरण खुलकर जमबन्दी संवत् 2031 से 2034 में दर्ज हुआ, तब से वादीगण का आज दिनांक तक कब्जा चला आ रहा है। वादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। उपरोक्त वर्णित 15 बीघा भूमि चालू जमाबन्दी संवत् 2.60 से 2063 तक की जमाबन्दी में राज्य सरकार बिलानाम काबिल काश्त अकृषि योग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की जाने की स्वीकृति हुई। उक्त सारे तथ्यों के बारे में पटवारी हल्का से सम्पर्क किया गया तो पता चला की वादीगण के पिता द्वारकालाल को आवंटित भूमि उनके नाम पर अंकित नहीं की गयी, जिस पर वादीगण ने तमाम प्रतिलिपियां हासिल की तो उन्हें प्रथम बार दिनांक 31–01–2006 को उक्त तथ्य का

ज्ञान हुआ। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को दफा 80 सी.पी.सी. का नोटिस भी दिया गया, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि वादीगण के नाम अमल दरामद नहीं की गयी। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर पिछले 38 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा उन्होंने काफी धन व परिश्रम कर भूमि का काबिल काश्त बनाया है। निवेदन किया कि वाद वर्णित साबिक आराजी नंबर 3820/1795 रकबा 15 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम पर अमल दरामद किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे व अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि द्वारकालाल जी के नाम अवश्य दर्ज हुई थी, किन्तु वादग्रस्त भूमि महफूज चरनोट होने के कारण उनके नाम गलत नियमन किया गया था, इसलिए द्वारकालाल जी का नाम हटाया जाकर पुनः सरकार के नाम दर्ज कर दी गयी। वादग्रस्त भूमि पर द्वारकालाल अथवा वादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा। वादीगण के सजरे से प्रतिवादीगण अनभिज्ञ हैं। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि पुनः उनके नाम दर्ज कराने से उन्हें किसी प्रकार की हानि होने वाली नहीं है, बल्कि यदि वादीगण के नाम उक्त आराजी दर्ज कर दी गयी तो प्रतिवादीगण को अशोधनीय हानि होगी। वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है इसलिए वादीगण घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

उक्त जवाबदावे का जवाबुल जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में नियमन राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ 3(50)राज./ख/64 दिनांक 05–10–1967 के परिप्रेक्ष्य में किया गया है तथा यह भूमि जिला कलक्टर की अनुशंषा के आधार पर नियमन की गयी है, जो राज्य सरकार द्वारा की गयी है, जिस पर वादीगण के पिता का कब्जा था तथा बाद में वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण को कब्जे से कभी भी बेदखल नहीं किया गया। वादीगण को बिना सुने भूमि को किसी भी प्रयोजन के लिए बदला नहीं जा सकता है यदि ऐसा किया जाता है तो इसके लिए वादीगण जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

वादीगण द्वारा भूमि रहन रखकर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक से दिनांक 07–11–1973 को 2000/– रूपये का ऋण लिया गया है, जिसका निस्तारण वादीगण को राजस्थान कृषि एवं ग्रामीण बैंक ऋण योजना 1990 के तहत प्राप्त राहत के अतिरिक्त बकाया अवधि पर ऋणों का भुगतान की उक्त योजना में दिनांक 27–09–1990 को 153/– रूपये नकद जमा करवा दिया गया है। राजस्व रेकार्ड में माफिक भूमि को बिलानाम सरकार काबिल काश्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने की स्वीकृति हुई मात्र लिख देने से वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नंबर 1634/76 में याचिकाकर्ता श्री द्वारकालाल बनाम राज्य सरकार में दिनांक 03–12–1985 को पारित आदेश में वादीगण का कब्जा माना गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण पुनः खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

प्रकरण में दौराने कार्यवाही विभिन्न वादीगण की मृत्यु हो जाने के कारण उनके कायम मुकाम संस्थित किये गये।

प्रकरण में दिनांक 14–05–2012 को प्रतिवादी की ओर से आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का एक आवदेन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी में से कुछ आराजी पुलिस चौकी भटेवर के नाम रिजर्व कर रखी है तथा वर्तमान में पुलिस विभाग का बोर्ड लगा हुआ होकर उनका कब्जा है। ऐसी स्थिति में थाना प्रभारी खेरोदा व पुलिस अधीक्षक उदयपुर को भी पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

प्रकरण में वादीगण द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर दिनांक 20–06–2007 को निम्नानुसार 8 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादी वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित साबिक आराजी नंबर 3820/1795 रकबा 15 बीघा को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है ? .... वादीगण

2. आया वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अकित सजरा खानदान सही है ? .... वादीगण

3. आया विवादित आराजी सन् 1968 से वादीगण के पिता द्वारकालाल भटनागर के नाम से नियमन की जाकर तब से उनका कब्जा चला आ रहा है ? .... वादीगण

4. आया वाद कारण दिनांक 31—01—2006 को पैदा हुआ ?............. वादीगण

5. आया महफूज चरनोट होने की वजह से द्वारकालाल भटनागर को किया गया नियमन कानूनन गलत था जिससे विवादित भूमि पुनः द्वारकालाल के खाते से हटाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज की गयी ? .... प्रतिवादीगण

6. आया वादग्रस्त भूमि पर द्वारकालाल या वादीगण का कब्जा कभी नहीं रहा ? .... प्रतिवादीगण

7. आया वादीगण को किसी प्रकार से वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है ? .... प्रतिवादीगण

8. अनुतोष ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में उभयपक्षों द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विवेचन करने के बाद दिनांक 17—12—2012 को तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद सिद्ध नहीं पाया जाना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18—02—2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मनोज पंवार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि अपीलान्ट/वादीगण के पूर्वज द्वारकालाल जी के नाम दिनांक 08–07–1968 को विधिवत नियमन किया गया तथा राजस्व रेकार्ड में भी प्रविष्टी की गयी तथा उनके द्वारा भूमि पर काबिज हो बैंक से ऋण लेकर भूमि को काश्त योग्य बनाया गया एवं कुंआ भी खुदवाया गया, फिर भी वादीगण को बिना सुना उक्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोनजार्थ आरक्षित कर बिलानाम दर्ज कर दिया गया, जो त्रुटि पूर्ण है। उक्त भूमि बाबत् कतिपय अज्ञात प्रेरक तत्वों के कारण प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी के पक्ष में राज्य सरकार के नियमन आदेश को त्रुटि पूर्ण ढंग से उप राजस्व मंत्री द्वारा अनाधिकृत रूप से नियमन आदेश खारिज कर दिया गया, जिस पर अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिक प्रस्तुत की जो स्वीकार होकर प्रकरण पुनः अपीलान्ट के पक्ष में विधि सम्मत कार्यवही करने हेतु आदेशित किया गया। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि अनिर्णित रहा तथा सम्बन्धित कार्यालय को लिखे गये पत्र की प्रति मूल वाद कार्यवाही में सम्मिलित की गई तथा जून 1988 में मृत्यु होने से स्वास्थ्य व अतिवर्धक अवस्था के कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा सके तथा अपीलान्टगण का आज तक अनवरत कब्जा चला आ रहा है। प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रदर्श 1 से 49 तक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा गवाह प्रस्तुत किये गये जिससे वादीगण का पूर्ण रूप से साबित था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय जो कि राज्य सरकार के मातहत अधिकारी हैं, बिना मस्तिष्क का उपयोग किये वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। तनकी नंबर 1 को वादीगण द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से पूर्ण रूप से साबित करवाया गया है, जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी, इसलिए उक्त दस्तावेजों पर किसी प्रकार का संशय नहीं हो सकता, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर दी। इसी प्रकार तनकी नंबर 2 केवल मात्र प्रीज्यूडिश तरीके से सरसरी तौर पर खारिज कर दी, जबकि वादीगण ने सम्यक रूप से अपने परिवार के सजरे को प्रमाणित करवाया है। तनकी नंबर 3 में वादग्रस्त भूमि पुलिस चौकी भटेवर के नाम आवंटित हो जाने के आधार पर वादीगण का कब्जा नहीं मानते हुए व राजस्व मंत्री के पूर्व आदेश को आधार बनाते हुए वादीगण

के विरूद्ध निर्णित कर दी जो त्रुटि पूर्ण है। तनकी नंबर 4 में वाद करण उत्पन्न होना नहीं मानने में अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। तनकी नंबर 5 से 7 का निर्णय भी साक्ष्यों को नजर अंदाज करते हुए पारित किया है। अपील मीमों के कम संख्या 4 में प्रदर्श 1 से 49 तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का वर्णन किया है, जो उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों को अनदेखा कर निर्णय पारित किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आई कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तनकी है। उक्त तनकी के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह विवेचन किया गया है कि उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034 में द्वारकालाल जी का नाम अवश्य दर्ज है, परन्तु साथ ही टिप्पणी में यह भी अंकित है कि नामान्तरकरण संख्या 408 से आराजी नंबर 3820/1795 बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया है, जो तहसीलदार वल्लभनगर श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से स्पष्ट होता है। पत्रावली में भी संवत् 2024 से 2027 में प्रश्नगत भूमि महफूज चरनोट दर्ज है, जिसमें से ही श्री द्वारकालाल भटनागर को जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 07–10–1968 से चरनोट खारिज करने की मंजूरी का दाखला लगा है, जो प्रदर्श ए–2 से स्पष्ट है, जिसके चलते ही नामान्तरकरण संख्या 478 द्वारा उक्त भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज की गयी है, जो प्रदर्श ए–4 से से स्पष्ट है। तत्पश्चात संवत् 2035 से 2038 में बंजर, 2039 से 2042 में बंजर, 2044 से 2047 में बंजर, 2048 से 2051 में बंजर अर्थात राजकीय बिलानाम बंजर का दाखला लगा हुआ है, जो प्रदर्श ए–5 से ए–8 तक से स्पष्ट है। इसके अलावा प्रदर्श 12 जो ग्राम वारिसान द्वारा जिला कलक्टर को दिनांक 07–12–1968 को प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसमें भूमि में मवेशी चरने एवं द्वारकालाल का किसी प्रकार का कब्जा नहीं होने का वर्णन है। राजस्व मंत्री श्री परसराम मदेरणा द्वारा दिनांक 19–08–1976 में दिये गये फैसले में द्वारकालाल के हक में किया गया परिवर्तन एवं आदेश दिनांक 08–07–1968 निरस्त कर दिया गया था। जहां तक वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों के प्रश्न है, यह सेकेण्डरी एविडेन्स हैं। साक्ष्य भी दस्तावेज को प्रमाणित करने हेतु होते हैं, जिसमें वादी पूर्ण रूप से विफल रहा है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय करते समय वादी/अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दस्तावेजात 1 से 49 तक का कोई विवेचन नहीं किया है। उक्त भूमि यदि चारागाह के रूप में आवंटित की गयी तो उसके लिए सक्षम आदेश उपलब्ध था। उक्त सक्षम आदेश के विरूद्ध वादी के नाम दर्ज शुदा भूमि को यदि पुनः आवंटन/नियमन को निरस्त किया गया है तो उसके लिए क्या उसके लिए क्या वादी को कब्जे बाबत् विधिक सुनवाई का अवसर दिया गया है अथवा नहीं इस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा भूमि बैंक में रहन रखने व उसके कब्जे बाबत् जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उस पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मंत्री के आदेशों के क्रम में उक्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पेश शुदा प्रकरण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी कोई विवेचन नहीं किया गया है। यदि किसी पक्षकार को कोई आवंटन होता है एवं राजस्व रेकार्ड में उसकी प्रविष्टि भी हो जाती है तो उसे बिना सुने उसके हक हकों का अवसान किये जाने बाबत् प्राकृतिक न्याय तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में की गयी कार्यवाही का विवेचन किये बिना तथा भूमि पर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा उनके कब्जे बाबत् प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होकर तनकी नंबर 1 के संबंध में किया गया विवेचन त्रुटि पूर्ण प्रतीत होता है।

इसी प्रकार जहां तक तनकी नंबर 2 का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा साक्ष्यों से उक्त सजरे को नहीं माने जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है तथा खण्डन में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सजरा सही नहीं मानने का निर्णय त्रुटि पूर्ण प्रतीत होता है।

तनकी नंबर 3 के सन्दर्भ में जैसाकि हमारे द्वारा हमारे द्वारा तनकी नंबर 1 में विवेचन किया गया है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादीगण द्वारा पेश शुदा साक्ष्यों का कोई विवेचन नहीं किया गया है, जबकि उक्त तनकी के सन्दर्भ में वादीगण द्वारा पेश शुदा साक्ष्यों, खसरा गिरदावरियां एवं रहन इत्यादि के तथ्यों पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है।

तनकी नंबर 4 के संबंध में विवेचन की कोई उपादेयता नहीं है, क्योंकि घोषणात्मक वाद में कोई मयाद नहीं होती है।

जहां तक तनकी नंबर 5, 6, 7 का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह तीनों तनकियां जो कि तनकी नंबर 1 के ही खण्डन की तनकियां हैं, उसके संबंध में भी पूर्व मानसिकता के आधार पर निर्णय पारित किया है।

प्रकरण में यह भी स्पष्ट आया कि स्वयं सरकार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के तहत आवेदन प्रस्तुत कर पुलिस थाना खेरोदा को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया है, जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। अर्थात उक्त आवेदन अनिर्णित रहा है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के सन्दर्भ में हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्व मानसिकता के आधार पर पारित निर्णय है, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–12–2012 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक जांच करवाकर प्रकरण में उभयपक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–06–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

उदा पिता कना जी रावत, निवासी रोहीखेडा, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **गणेशलाल पिता खुमा जी सुथार, नि0 रोहीखेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰...........**130 / 2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**वल्लभनगर**.......... मुकाम.............मुवर्खे............**.17**...........माह..............**10**.............**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**29**.....माह........**11**.......सन् **2017** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री ओंकारलाल डांगी** ....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री पन्नालाल मारू** ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–10–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**29**.....माह.......**11**...........**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।